2221

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the 26 -02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 3.0540 hectare (instead of 1.3290) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Upper Babelli to Jindoure road from Kms 0/0 to 9/840 (out of which 0/0 to 3/610 has already been constructed before 1980), within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9B/HPB/610/2011/CHA/2067 दिनांक 12/12/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विशय में दर्शित **3.0540 hectare (instead of 1.3290)** हे0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें है:-

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Maharaja-III में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से कुल 6.11 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.12 है0 Maharaja-III वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। उपरोक्त क्षेत्र का site suitability certificate duly authenticated by DFO एवं संबंधित के0एम0एल0 फाईल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्यालय को प्रेषित करें।

4 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

5 एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

9 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जंहा सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।

Contd./2

SIFCA

पावती सं 3907
दिनांक 02/03/21

APCCF (FCA) 1/3

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

11 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 133 trees से अधिक न हो।

12 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Kullu, Distt. Kullu HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 6 -03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.60 ha (instead of 1.94 ha) of forest land for construction of Kutt-Khetru-Chandani Road from (Kms 0/0 to 4/300) in favour of HPPWD, within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (online no. FP/HP/Road/38917/2010).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9--एच.पी.बी. 691/2011–सी.एच.ए./666 दिनांक 21/07/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.60 ha (instead of 1.94 ha)** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा संशोधित 3.2 है0 DPF Saun पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें ।

   ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे नं0 अंकित किया गया है।
4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**

   क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 6.50 है0 DPF Sadhoti पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

   ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे नं0 अंकित किया गया है।

   ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 171 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

Contnd. P/2

S/FCA

APCCF (FCA) 8/3

7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।
9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले--आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

–Contnd. P/3

22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated, Shimla-171001 the, 6 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests. MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO, Jogindernagar Forest Division, Distt., Mandi, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Jogindernagar, Distt. Mandi, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 4 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.9582 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Tharola to Pujai road, (Kms 0/00 to 6/00), within the jurisdiction of Theog Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 9–एच.पी.बी./588/2012/सी.एच.ए./118, दिनांक 18.05.2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.9582 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 6.00 है0 U-491 Bhareli, Beat Himri, Block Gohach, Kotkhai Range, Theog Divison, Survey-53E/8 पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
   (ख) राज्य शासन द्वारा CA/PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।
   (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.48 है0 U-491 Bhareli, Beat Himri, Block Gohach, Kotkhai Range, Theog Divison, Survey-53E/8 पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

(ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 08 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग की सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 4 March, 2021
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Theog Forest Division, District Shimla, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Theog, District Shimla, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

1388

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 3 **-03-2021**

Order

Sub:- **Renewal of mining lease over an area of measuring 1.3918 ha of forest land for the extraction of river bed minerals, i.e. Sand, Stone & Bajri in favour of Shri Dault Ram Negi of Village Kilba, Tehsil Sangla, Distt. Kinnaur, H.P., within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/05/47/2017/FC/430 दिनांक 24/05/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3918** है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करतें है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF-Kilba (in lieu of safety zone area 1.3362 ha) में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से कुल 2.0043 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3. एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए Layout Plan में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

9. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नही किया जाएगा ।

Kishore 9/3/2021

APCCF(FCA)

PCCF(HoFF) 5/3/21

आवती सं. 4035
दिनांक 09/03/2021

Contd./2

10 The User Agency shall obtain the Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection)Act, 1986, if required, as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986.

11. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the Supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

12. The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir and canals (as applicable).

13. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

14. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoin pillars etc.

15. The renewal period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of mining lease proposed to be granted under the mines and minerals (development and Regulation) Act 1957 or Rules framed there under.

16. User Agency shall submit the annual report on compliance in conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of MoEF&CC,GoI.

17. The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force as applicable to the Project.

18. A lease deed shall be executed by the User Agency with the Industries department.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 3 **-03-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Director of Industries for information and necessary action.
5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
6. The Deputy Commissioner, Kinnaur, Distt., Kinnaur, Himachal Pradesh.
7. DFO Kinnaur Forest Division, Distt., Kinnaur H.P.
8. Sh. Dault Ram Negi of Village Kilba, tehsil Sangla, Distt. Kinnaur, H.P.
9. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 3-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.